संख्या : 132 / 1—10—2011—14(63) / 2010 टी0सी0

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूँ / हरदोई / फर्रूखाबाद।

राजस्व अनुभाग—10 लखनऊ : दिनॉक : 20 जनवरी, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2010—11 में कृषि निवेश / गृह अनुदान / नाविकों के भुगतान मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संलग्नक में उल्लिखित आपके पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010—11 में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि निवेश / गृह अनुदान / नाविकों का भुगतान आदि हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 1792.00(रूपये सत्रह करोड़ बानबे लाख मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—आयोजनेत्तर—05—आपदा राहत निधि—800—अन्य व्यय—03—आपदा राहत निधि से व्यय—42—अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की कृषि निवेश / गृह अनुदान मद में धनराशि शासनादेश संख्या—3253 / 1—10—2008—12(73) / 2008, दिनॉक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं—अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य दुर्घटनाओं—सड़क दुर्घटना, रेल

दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर–3 व 4 में संदर्भित शासनादेश दिनॉक 31 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश दिनॉक 22 सितम्बर, 2010 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, यतो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या–4464/1–10–2008– 14(45)/2003, दिनॉक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/– तक की धनाशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/– से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. वर्ष 2010–11 में कृषि निवेश एवं गृह अनुदान मद में वितरण 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

7. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

8. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है, यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश

संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनॉक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

के0के0 सिन्हा
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या–132(1)/1–10–2011–14(63)/2010, तद्दिनॉक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–सम्बन्धित जनपदों के मण्डलायुक्त।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
8–समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभा–10/राजस्व अनुभाग–6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9–निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0–132/1–10–2011–14(63)/2010, दिनॉक 20 जनवरी, 2011 का संलग्नक

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मद	धनराशि (लाख रू0 में)	जिलाधिकारी का संदर्भ/पत्र
1	बदायूँ	1. कृषि निवेश अनुदान	664.00	3082(1)/तीन–संग्रह(आपदा) दिनांक 18 नवम्बर, 2010
		2. गृह अनुदान	173.00	3082(1)/ तीन–संग्रह(आपदा) दिनांक 18 नवम्बर, 2010
2	हरदोई	1. कृषि निवेश अनुदान	675.00	60/3–सी0आर0ए0 दिनांक 29 दिसम्बर, 2010
4	फर्रूखाबाद	1. गृह अनुदान	280.00	572/सी0आर0ए0/दै.आ.आ. /10–11 दिनांक 26.12.10
		कुल योग	1792.00	

(रूपये सत्रह करोड़ बानबे लाख मात्र)

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।